न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—29/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/29)

1. श्री भगतसिंह चौहान पुत्र श्री बलवीरसिंह चौहान
2. श्रीमती कावेरी चौहान पत्नि श्री भगतसिंह चौहान
   उपरोक्त दोनों जाति राजपूत निवासी—ए/7, अम्बिका पार्क सोसायटी, एस0बी0सोसायटी के सामने सेजपुर बोधा नरोडा रोड अहमदाबाद गुजरात प्रदेश।
3. श्रीमती अंजना जैन पत्नि श्री राकेश कोठारी जाति जैन निवासी—445, गृहशोभा हनुमान जी के मन्दिर वाली गली, लोकाशा नगर, ब्यावर जिला—अजमेर।
4. राकेश तोमर पुत्र श्री रामप्रकाश जी तोमर जाति राजपूत निवासी—छीपा कॉलोनी, मेडिया रोड, ब्यावर जिला अजमेर।
5. श्रीमती सुनिता कुमावत पत्नि श्री भवनिल जी कुमावत निवासी—72, निर्मलाकुंज जमालपुरा रोड ब्यावर जिला अजमेर।
6. चांदमोहम्मद पुत्र अब्दुल गफूर
7. निसार अहमद पुत्र अब्दुल गफूर
8. सलीम अहमद पुत्र अब्दुल गफूर
   उपरोक्त सभी जाति मुसलमान निवासी—ऊटों का वाडिया काबरा तहसील—ब्यावर जिला अजमेर।
9. श्रीमती मंजूलता पत्नि श्री लोकेश जाति रावत निवासी—लाडपुरा तहसील माण्डलगढ, जिला भीलवाडा।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, लैण्ड होल्डर ब्यावर जिला अजमेर।
2. भंवरलाल पुत्र पूसाराम जाति गुर्जर निवासी—शिवनाथपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
3. उपपंजीयक ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 228/2022

उपस्थितः—

1. श्री सी0पी0 शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 3
3. रेस्पोडेंट संख्या 02 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः—05.03.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 228/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी/रेस्पोडेंट राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ब्यावर की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 2 भंवरलाल को जरिए सम्मन तलब किया और वाद तामील अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित करते हुए वाद स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को सिवायचक घोषित करते हुए बेदखली के आदेश पारित कर दिए जिससे व्यथित होकर अपील उपरोक्त अपीलांटस/प्रार्थीगण जो कि व्यथित पक्षकार है और वादग्रस्त भूमि के सदभाविक खरीददारान है जिन्होनें वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी/रेस्पोडेंटस सख्या 2 के पिता पूसा वल्द धन्ना गुर्जर से पंजीबद्ध विक्रय पत्र से खरीद किया है और मौके पर काबिज होकर उपयोग कर रहे हैं जिसकी समुचित जानकारी अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधीनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी को समुचित रूप से रही है इसके उपरांत भी बिना उनको सूचित किए सुनवाई का अवसर प्रदान किए पक्षकार बनाए वाद का निर्णय डिक्री ऐसे व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 2 भंवरलाल को पक्षकार बनाकर पारित किया है जो ना तो वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार रहा है ना ही मौके पर काबिज होकर भूमि का उपयोग कर रहा है ना ही वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में भंवरलाल का नाम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है इसके उपरांत भी वादग्रस्त भूमि के मौके पर भौतिक रूप से काबिज होकर उपयोग करने वाले उपरोक्त प्रार्थीगण/अपीलांटस को पक्षकार बनाए बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जिसकी आड में वादग्रस्त भूमि से उन्हें बेदखल करने पर अमादा होने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 228/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 02 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवदेन किया कि प्रार्थीगण/अपीलांटस वादग्रस्त भूमि के सदभावी क्रेता के रूप में काबिज होकर उपयोग कर रहे है तथा उन्हें विचारण न्यायालय में वाद में प्रतिवादी पक्षकार बनाए बिना ही व उनको अपनी प्रतिरक्षा में सुनवाई का अवसर दिए अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित किया है जिससे व्यथित/पीडित है क्योंकि वादग्रस्त भूमि में उनके हक हकूक अधिकार निहित हो चुके है और वह भौतिक रूप से मौके पर काबिज होकर उपयोग कर रहे हैं जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया और निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसकी जानकारी होते

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

ही अपील प्रस्तुत की है तथा अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं होने से एवं व्यथित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कहे गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थी व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 की वहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, व्यावर के समक्ष प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर किए गए कथन सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः अपीलांट व्यथित व हितबद्ध पक्षकार होने व अपीलांट द्वारा किए गए कथन संतोषप्रद व उचित प्रतीत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

R.B.J(8)2001 PAGE 313-***"CIVIL PROCEDURE CODE, 1908- SECTION 96-*** *when a person is not a party in the lower court, but if he is a affected party, court should grant him leave for filling an appeal".*

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

7. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थीगण/अपीलांटस वादग्रस्त भूमि के सदभावी क्रेता के रूप में काबिज होकर उपयोग कर रहे है तथा उन्हें विचारण न्यायालय ने वाद में प्रतिवादी पक्षकार बनाए बिना ही व उनको अपनी प्रतिरक्षा में सुनवाई का अवसर दिए अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित किया है जिसकी जानकारी पूर्व में नहीं हो पाई और पटवारी हल्का ने आकर मौके पर जानकारी दी तब नकल प्राप्त कर अपील पेश की तथा जानकारी के अभाव में जो विलंब हुआ है वो सदभावी संतोषजनक है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अंतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

10. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय डिक्री में वादी/रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने भौतिक रूप से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग करने वाले उपरोक्त प्रार्थीगण/अपीलांटस की समुचित जानकारी किए बिना ही हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट जो भौतिक रूप से उपयोग किए जाने वाले उपरोक्त अपीलांटस के बाबत तथ्यों की छिपाकर प्रस्तुत की जिसकी ताईद में मौका रिपोर्ट का अवलोकन भी न्यायिक विवेक के अनुसार नहीं किया जाना प्रतीत है क्योंकि कथित मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि वादग्रस्त भूमि के मौके पर भौतिक रूप से कितने प्लॉट काटे हुए है और कितनी भूमि पर होटल बनी हुई है और इन सबका उपयोग कौन व्यक्ति कर रहे है तथा वाद में पटवारी हल्का के ना तो बयान लिए गए और ना ही वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित ही किया गया है। वादग्रस्त भूमि जिसका कथन अपीलाधीन निर्णय डिक्री में किया है जिसका मूलखातेदार पूसा वल्द धन्ना गुर्जर रहा है जिसने पंजीकृत विक्रय पत्र से वादग्रस्त भूमि का बैचान अपीलांटस को कर दिया और राजस्व नियमानुसार उपपंजीयक के द्वारा कृषि भूमि के खातेदार द्वारा अपने हक–हिस्से का हस्तांतरण करने वाले दस्तावेज को पंजीबद्ध करते हुए उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित तहसीलदार कार्यालय में भिजवाया जावे जिससे की राजस्व अभिलेख में तदानुसार खातेदारी इंद्राजो को सही रूप से अंकित रखा जा सके और केवल मात्र पटवारी हल्का द्वारा भौतिक रूप से मौके पर वादग्रस्त भूमि के उपयोग की सही स्थिति का मौका रिपोर्ट में अंकन किए जाने की तस्दीक किए बिना ही निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी की खेती की भूमि को खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

काश्तकार द्वारा खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग किया जाना जैसे ही जानकारी में आता है तो भौतिक रूप से मौके पर उपयोग करने वाले व्यक्ति को सूचित किया जाकर उसके कृषि उपयोग में परिवर्तन करने पर सूचित कर जिस प्रकार का गैर कृषि उपयोग किया जा रहा है उसी अनुरूप सहपरिवर्तन शुल्क राशि के साथ शास्ति राशि आदि मय ब्याज के वसूल करते हुए संपरिवर्तन आदेश पारित कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि से बचाए जाने के समुचित प्रावधान राजस्व नियमों में होने के उपरांत भी जानबूझकर अनुचित रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की आड में प्रार्थीगण/अपीलांटस को हानि पहुंचाने की नियति से उक्त आदेश पारित किए हैं। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 228/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2022 को निरस्त किए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

11. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट ने वाद पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 615/300 रकबा 0.5059 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 मौजा शिवनाथपुरा में स्थित है। उक्त आराजी का वादी लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण वर्णित वादपत्र की पैरा संख्या 1 की कृषि भूमि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर मौके पर होटल बनाकर व प्लॉट काटकर उक्त भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ कर जमीन को खुर्द–बुर्द कर रहे हैं जिसका प्रतिवादीगण को हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी कानूनों के प्रावधानों व शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन-की है. जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व की हानि हुई है जिसके कारण अब प्रतिवादीगण को वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिए बिना मुखासमत दिनांक दिनांक 11.05.2022 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र के पैरा सं. 1 की वर्णित भूमि के अवैध रूप से मौके पर होटल बनाकर व प्लॉट काटकर अकृषि प्रयोजनार्थ करने की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। इस वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाजा को धारा 177, 92 क आर.टी. एक्ट 1955 के तहत है। अतः वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगणें डिक्री फरमाया जाकर वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करें। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 209 आर.टी.एक्ट के तहत दिलवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

12. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया जाना उचित समझते हैं। दिनांक 17.6.2022 को वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 24.8.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सम्मन प्राप्त किया गया परंतु उनके अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 20.9.2022 को पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार की वाद पत्र पर अंतिम बहस सुनी जाकर पत्रावली को आदेश वास्ते दिनांक 11.10.2022 को नियत किया गया। दिनांक 11.10.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए बाद अवलोकन वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया गया।

भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका पर्चा दिनांक 11.5.2022 के अवलोकन से यह तथ्य सामने आते है कि *"ग्राम शिवनाथपुरा के खसरा नम्बर 615/300 रकबा 0.5059 किस्म बारानी जो कि खातेदार भंवरलाल पुत्र पूसाराम के नाम राजस्व रिकार्ड अनुसार कृषि भूमि दर्ज है। जबकि मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर खातेदारों द्वारा नियम विरूद्ध उक्त कृषि भूमि का अकृषि उपयोग (होटल व प्लॉट काटकर) बिना संपरिवर्तन कराए किया जा रहा है। जोकि नियम विरूद्ध है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर अवैध रूप से होटल व प्लॉट काटकर प्रयोग किया जा रहा है। धारा 177 की कार्यवाही अलग से प्रस्तुत की जाकर मौका पर्चा तैयार किया गया।"*

उक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का बिना संपरिवर्तन कराए कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किया जा रहा है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कथन किए गए कि हल्का पटवारी व भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट पूर्णत मिथ्या है व उक्त स्थिति का भौतिक रूप से मौके पर वादग्रस्त भूमि के उपयोग की सही स्थिति मौका रिपोर्ट में अंकन नहीं किया गया है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात से यह तथ्य सामने आते है कि अपीलांट द्वारा कहे गए कथन किसी भी आधार से संतोषजनक नहीं है व ना ही उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए है। अपीलांट द्वारा कहे गए कथन वह साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रत्येक भूमि का भू धारक राजस्थान सरकार है व काश्तकार एक खातेदार है जिसके खातेदारी अधिकारी अभिधृति के अधिकार है न कि संपत्ति के अधिकार। काश्तकार को खातेदारी अधिकार काश्त एवं कृषि प्रयोजनों हेतु प्रदत्त किये जाते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने कृषि भूमि पर होटल बनाकर व प्लॉट काटकर, धारा 5 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में निहित "कृषि प्रयोजनों" की परिभाषा से भिन्न कार्य किया है, जो कि शर्तो के उल्लंघन की श्रेणी में आता है एवं ग्राम शिवनाथपुरा पटवार हल्का नून्द्रीमालदेव की विवादित आराजीयात खसरा संख्या 615/300 रकबा 0.5059 हैक्टर किस्म बारानी–1 से धारा 177 (1) व (2) व धारा 178 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत भूमि से बेदखल किया जाता है व उक्त भूमि को सिवायचक घोषित किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व पटवारी हल्का व भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर तैयार की गई मौका रिपोर्ट के आधार पर व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपील खारिज किए जाने व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखे जाने योग्य है।

13. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 228/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

05/03/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner